क्रम-संख्या—113

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 अप्रैल, 2001

बैशाख 10, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 980/सत्रह–वि–1—1 (क)–13-2001

लखनऊ, 30 अप्रैल, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2001 के रूप में उद्देश्य और कारण के साथ सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) यह पहली अप्रैल, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 12 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में, उपधारा (3) को निकाल दिया जायगा।

धारा 28 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (3) में, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 12(1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर प्रति-शुल्क—

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियाँ जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(इ) ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75.00 रुपये प्रति किलोग्राम

(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क—

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर)	90.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो (बियर को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
3	भारत में यवासवित बियर	60.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
4	भांग	75.00 रुपये प्रति किलोग्राम

(ग) परिवहन किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क—

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियाँ जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(इ) ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75.00 रुपये प्रति किलोग्राम

(घ) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित, कर्षित या संग्रहीत उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क—

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियाँ जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(इ) ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75.00 रुपये प्रति किलोग्राम

(ङ) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क—

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर)	90.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियाँ जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(इ) ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2001

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

लाइसेंस फीस और उत्पाद-शुल्क के आधार पर मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन की नई प्रणाली को लागू करने का विनिश्चय किया गया था। उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये अधिनियम के अधीन देय लाइसेंस फीस में वृद्धि किया जाना और उत्पाद-शुल्क की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाना आवश्यक था। अतएव, उक्त प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2001 को उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 980 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-13-2001

Dated Lucknow, April 30, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abkari (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 30, 2001 alongwith the Statement of Objects and Reasons thereto :—

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2001

(U.P. Act no. 16 of 2001)

[As Passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 2001.

(2) It shall come into force on April 1, 2001.

Amendment of section 12 of U.P. Act no. IV of 1910

2. In section 12 of the United Provinces Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, sub section (3) shall be *omitted*.

Amendment of section 28

3. In section 28 of the principal Act, in sub section (3) *for* clauses *(a), (b), (c), (d)*, and *(e)*, the following clauses shall be *substituted*, namely:—

(a) Countervailing duty on excisable articles imported in accordance with the provisions of section 12(1)

Item no.	Description of exeisable articles	Maximum rate of duty
1	Country liquor (excepting tari)	Rs. 90.00 per bulk litre
2	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit—	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other femented liquors	Rs. 60.00 per bulk litre
	(b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 600.00 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified	Rs. 600.00 per bulk litre
3	Bhang	Rs. 75.00 per Kilogram

(b) Excise or countervailing duty on excisable articles imported in accordance with the provisions of section 13

Item no.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1	Country liquor (excepting tari and other fermented alcoholic beverages)	Rs. 90.00 per bulk litre
2	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India (excepting beer)	Rs. 600.00 per bulk litre
3	Beer brewed in India	Rs. 60.00 per bulk litre
4	Bhang	Rs. 75.00 per Kilogram

(c) Excise or countervailing duty on excisable articles transported

Item no.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1	Country liquor (excepting tari)	Rs. 90.00 per bulk litre
2	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit—	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 60.00 per bulk litre
	(b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 600.00 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified	Rs. 600.00 per bulk litre
3	Bhang	Rs. 75.00 per Kilogram

(d) Excise duty on excisable articles manufactured, cultivated or collected under any licence granted under section 17

Item no.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1	Country liquor (excepting tari)	Rs. 90.00 per bulk litre
2	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit—	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 60.00 per bulk litre
	(b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 600.00 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified	Rs. 600.00 per bulk litre
3	Bhang	Rs. 75.00 per Kilogram

(e) Excise duty on excisable articles manufactured in any distillery established, or any distillery or brewery licensed under section 18

Item no.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1	Country liquor (excepting tari and fermented alcoholic breverages)	Rs. 90.00 per bulk litre
2	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit—	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors.	Rs. 60.00 per bulk litre
	(b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 600.00 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified	Rs. 600.00 per bulk litre

Repeal and Savings

U.P. Ordinance no. 10 of 2001

4. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,

Y.R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It was decided to introduce a new system of settlement of liquor shops on the basis of licence fees and excise duty. To implement the said decision it was necessary to enhance the licence fee and raise the maximum limit of excise duty payable under the Act was, therefore decided to amend the United Provinces Excise Act, 1910 for the purposes aforesaid.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2001 (U.P. Ordinance no. 10 of 2001) was promulgated by the Governor on March 5, 2001.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 21 सा० विधा०—2001—(199)—850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।